



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, मेरठ
आफिस कॉम्प्लैक्स, सैकटर-9, शास्त्री नगर, मेरठ



Email : upavpsc2@gmail.com

पत्रांक: 1414

/ 01-12 / 37

दिनांक: 28/05/2025

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

अद्योहरताक्षरकर्ता द्वारा उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद की ओर से ठेकेदारों/फर्म से, दू-बिड पद्धति पर ई-निविदा <https://etender.up.nic.in> के माध्यम से निर्मांकित विवरण के अनुसार आमंत्रित की जाती है, जो उपरिथित निविदादाताओं द्वारा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपरिथित में सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, मेरठ-01, मेरठ के ऑफिस कॉम्प्लैक्स, सैकटर-9, शास्त्रीनगर, मेरठ रिथित कार्यालय में गठित समिति द्वारा निम्न विवरण के अनुसार ई-प्रोक्योरमेंट सोल्यूशन के माध्यम से डाउनलोड/खोली जाएगी।

क्रं सं	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रु0 लाख में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ई-निविदा प्रोसेसिंग शुल्क+ जी.एस.टी. (रु0 में)	निविदा पद्धति	खण्ड का नाम
1	2	3	4	6	5		7
1	शास्त्री नगर योजना सं0-7, मेरठ के आवासीय भूखण्ड सं0-661/6 एवं अन्य सम्पत्तियों पर किये गये अवैध भू-उपयोग (व्यवसायिक प्रयोग) के घस्तीकरण का कार्य।	166.55	3.40	02 माह	4500.00 +GST 18 प्रतिशत	दू-बिड पद्धति	निर्माण खण्ड, मेरठ-01

शर्तः—

- निविदा प्रोसेसिंग शुल्क एवं धरोहर धनराशि NEFT/RTGS/Net-Banking के माध्यम से निविदा में उल्लिखित बैंक खाते में ही जमा करायी जायेगी (विवरण निर्मानुसार है), ई-निविदा निर्धारित तिथि व समय तक डाली/अपलोड की जानी होगी।

खण्ड का नाम	बैंक का नाम	ब्रांच का नाम	खाता संख्या	आईएफोएस०टी० कोड
अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, मेरठ-01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्रीनगर, मेरठ।	इण्डियन ओवरसीज बैंक	बी-7, शास्त्रीनगर मेरठ।	153201000009850	IOBA0001532

2. महत्वपूर्ण तिथियाँ

क्रं सं	विवरण	दिनांक	समय
1	ई-निविदा प्रकाशन तिथि।	29.05.2025	—
2	निविदा डाउनलोड/अपलोड/निविदा प्रोसेसिंग शुल्क एवं धरोहर धनराशि का भुगतान NEFT/RTGS/Net-Banking के माध्यम से करने की प्रारम्भ तिथि।	29.05.2025	अपराह्न 5:00 बजे से
3	निविदा डाउनलोड/अपलोड/निविदा प्रोसेसिंग शुल्क एवं धरोहर धनराशि का भुगतान NEFT/RTGS/Net-Banking के माध्यम से करने की अन्तिम तिथि।	09.06.2025	अपराह्न 5:00 बजे तक
4	प्री-व्यालिफाइंग (तकनीकी) बिड खोले जाने की तिथि।	10.06.2025	अपराह्न 1.00 बजे
5	वित्तीय बिड खोले जाने की तिथि कम सं0-1 हेतु		अलग से सूचित की जायेगी।

- निविदा खोले जाने की तिथि को अवकाश घोषित होने की स्थिति में, निविदायें अगले कार्य दिवस में खोली जायेंगी।
- निविदा की वैधता, निविदा खुलने की तिथि से तीन माह की होगी, जिसके लिये निर्धारित प्रारूप पर ₹0 100/- के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर ₹0 1/- के रेवेन्यू स्टाम्प सहित हस्ताक्षरित हो, की स्कैन कापी निविदा के साथ ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- निविदादाता फर्म को आयकर विभाग/जी०एस०टी० में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न की जानी आवश्यक होगी।
- राशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- बी०ओ०व्यू० की दरों में जी०एस०टी० को छोड़कर अन्य समरत कर समिलित हैं, जी०एस०टी० नियमानुसार अतिरिक्त देय होगी। सभी देयकों से आयकर, लेवर सेस व अन्य कर, जो उ० प्र० सरकार/भारत सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की कटौती नियमानुसार की जायेगी। जी०एस०टी० का तत्समय प्रभावी शासनादेशों/परिषद आदेश के अन्तर्गत निर्धारित दरों के अनुसार एवं फर्म द्वारा जी०एस०टी० Invoice प्रस्तुत करनें के उपरान्त, नियमानुसार अलग से भुगतान किया जायेगा।

✓

8. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को अपरिहार्य कारणवश, बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को सुरक्षित रहेगा।
9. समस्त कार्य, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद/उ०प्र० लोक निर्माण विभाग/उ० प्र० जल निगम/MORTH/IRC/यू.पी.पी. सी.एल.(विद्युत कार्यों हेतु) की निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार, कराये जायेंगे।
10. निविदा की बी०आ०व्य० में अंकित कार्यों की मात्रा में किसी भी सीमा तक (+/-) परिवर्तन (बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी) हो सकता है, जिसके लिये ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
11. निविदा प्रपत्र, परिषद की वेबसाईट www.upavp.in एवं उ०प्र० इलैक्ट्रोनिक कॉरपोरेशन की वेबसाईट <http://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि नियमित रूप से उक्त वेबसाईट्स को देखते रहें क्योंकि निविदाओं के सम्बंध में कोई बदलाव अथवा अतिरिक्त सूचना वेबसाईट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।
12. कार्य हेतु निविदा डालने से पूर्व, ठेकेदार/फर्म कार्यस्थल का किसी भी कार्य दिवस में निरीक्षण एवं निविदा प्रपत्रों का पूर्व अध्ययन अवश्य कर लें। ठेकेदार/फर्म द्वारा निविदा में प्रतिभाग किये जाने की स्थिति में यह माना जायेगा कि ठेकेदार/फर्म द्वारा स्थल का निरीक्षण/परीक्षण कर लिया गया है तथा इस सम्बन्ध में भविष्य में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
13. निविदादाता के निविदा स्वीकृत/अनुबन्ध गठित होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित निविदादाता सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा, जिसमें किसी भी क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी।
14. निविदा के कार्य में सम्मिलित विशेष प्रकृति के कार्य, तत्सम्बन्धी कार्यों हेतु दक्ष अधिकृत एजेन्सी के पर्यवेक्षण में कराने होंगे।
15. प्रत्येक देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी।
16. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए काली सूची में डाला जायेगा।
17. ई-टैन्डरिंग में प्रतिभाग हेतु वांछित अर्ह-श्रेणी एवं उससे उच्च श्रेणी के निविदादाता पात्र होंगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति निविदा प्रपत्रों के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।
18. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिए। प्रगति का आंकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जाएगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूमुलेटिव प्रगति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
19. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर, निविदा की दरें कम (Below) मानी जायेगी।
20. यदि ठेकेदार/फर्म ने स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) जमा की है, तो निविदा के साथ कुल वांछित धरोहर व स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ देय होगी।
21. कार्य के विलम्ब होने की स्थिति में, रेत में प्राविधानित क्लॉज के अनुसार निविदादाता/फर्म पर पेनल्टी की बाध्यता लागू होगी।
22. निविदादाताओं/फर्म के निविदा स्वीकृति की दशा में, नियमानुसार जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ०डी०आर०/सी०डी०आर० के रूप में, जो कि सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में बंधक हो, निविदा स्वीकृति पत्र के निर्गमन की तिथि से ०७ कार्य दिवसों के अन्दर जी०पी०डब्ल्य०९ फार्म में उल्लिखित क्लाज-(१) के अनुसार जमा करनी होगी। निविदा स्वीकृति के उपरान्त निर्धारित अवधि में ठेकेदार को अनुबन्ध गठित कराना होगा अन्यथा की रिस्ति में निविदा निरस्त करते हुये, जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
23. अनुबन्ध गठन के समय प्रभावी नवीनतम शासनादेशानुसार स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।
24. यदि निर्माण कार्य की जांच में गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी जाती है तो इसके लिये ठेकेदार/फर्म उत्तरदायी होगी, जिसकी वसूली नियमानुसार फर्म से की जायेगी।
25. निविदादाता/फर्म को वांछित कार्य के अन्तर्गत पिछले ०७ वित्तीय वर्षों में समान प्रकृति के निम्नलिखित तीन विकल्पों में से किसी एक विकल्प के अनुसार (अ, ब, स में से कोई एक को) पूर्ण किये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर, संलग्न करना अनिवार्य है।
 - निविदा की लागत का कम से कम ८० प्रतिशत के समतुल्य का एक कार्य।
 - निविदा की लागत का कम से कम ५० प्रतिशत के समतुल्य के दो कार्य।
 - निविदा की लागत का कम से कम ४० प्रतिशत के समतुल्य के तीन कार्य।
26. शासनादेश सं०- १३४५/८६-२०१९ दिनांक १५.०७.२०१९ के अनुसार ठेकेदार/फर्म को स्थल पर लायी गयी सामग्री का नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर वैध रवन्ना (E-MM-11) प्रस्तुत करना होगा तथा आपूर्तिकर्ता से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण खरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति अनिवार्यरूप से प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा शासनादेश के अनुसार नियमानुसार रायल्टी की कटौती ठेकेदार/फर्म के देयक से वसूली नियमानुसार की जायेगा।
27. निविदादाता द्वारा कार्य के सम्पादन हेतु आवश्यक मशीनरी के स्व-स्वामित्व/अनुबन्धित होने सम्बन्धी प्रपत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करने होंगे।
28. निर्माण स्थल पर श्रमिकों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी।
29. निर्माण के दौरान जनसामान्य के सुगम एवं सुरक्षित यातायात आवागमन हेतु साईन बोर्ड लगाना एवं यातायात डायर्वर्जन हेतु अरथात् व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा, जिस हेतु अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
30. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान, वर्षा या अन्य दैवीय आपदा के कारण किसी प्रकार की हुई क्षति हेतु परिषद द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। कार्यस्थल पर फर्म को सुरक्षा मानकों का पूर्णतया अनुपालन कराना होगा। कार्यस्थल पर किसी कारणवश, हुई क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार/फर्म स्वयं ही जिम्मेदार होगी। इस सम्बन्ध में परिषद द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।



- कार्य को निर्धारित समय के अन्तर्गत, कार्य की प्राथमिकता के अनुसार चरणदार इस प्रकार सम्मादित कराना होगा कि स्थल पर किसी प्रकार की वाधा उत्पन्न न हो एवं सभी कार्य सुगमतापूर्वक, समयद्वंद्व/गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो सकें।
32. अन्य नियम व शर्त नियिदा की तकनीकी एवं वित्तीय विड के अनुसार होगी।
33. जी०पी०डब्ल्यू०-९ फार्म में प्राविधानित नियम व शर्त अनुबन्ध में लागू रहेंगी।
34. एन०जी०टी० सम्बन्धी नियमों का अनुपालन किये जाने हेतु नियिदादाता फर्म द्वारा अनुबन्ध गठन के समय शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।
35. उ०प्र० शासन/जिला प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित दिये गये निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

(राजीव कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता

पृष्ठ १४१४ / उपरोक्तानुसार/

तद दिनांक:

- प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1. मुख्य अभियन्ता महोदय, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
 2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।
 3. इन्व्यार्ज कम्प्यूटर सेल, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
 4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड मेरठ-०१/०२/०३/०४, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, मेरठ/सहारनपुर।
 5. नोटिस बोर्ड।

अधीक्षण अभियन्ता